क्र.न 60/20 हनुमानसहाय बनाम हीरासहाय

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
10-11-2020	वकील वादी उप0। बहस हेतु पत्रावली दि0 18-11-2020 को पेश हो।	
18-11-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ~~18-11-2020~~ 1-12-2020 को पेश हो। रीडर	
1-12-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-1-2021 को पेश हो। रीडर	
5-1-2021	वकील वादी उप0। बहस सुनी गई। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:30:30 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
60/2020	25.8.2020	5.1.2021

1. हनुमान प्रसाद पुत्र रामनिवास, ब्राह्मण निवासी खौलाई तह0 गंगापुर सिटी
2. रामबाबू पुत्र रामनिवास, ब्राह्मण निवासी खौलाई तहसील गंगापुर सिटी
3. रमेश पुत्र रामनिवास, ब्राह्मण निवासी खौलाई तहसील गंगापुर सिटी
4. श्यामबाबू पुत्र रामनिवास, ब्राह्मण निवासी खौलाई तहसील गंगापुर सिटी
5. संजय पुत्र जगदीश, ब्राह्मण निवासी खौलाई तहसील गंगापुर सिटी
6. घनश्याम पुत्र सूक्या, ब्राह्मण निवासी खौलाई तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र ग्यारसीलाल, ब्राह्मण निवासी टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
2. महेन्द्र पुत्र हरिप्रसाद, ब्राह्मण निवासी टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
3. बालगोविन्द पुत्र हरिप्रसाद, ब्राह्मण निवासी टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम,एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 252 रकबा 0.73 है0, ख0नं0 255 रकबा 0.61 है0, ख0नं0 257 रकबा 0.44 है0 ग्राम खौलाई तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण ने इस साल उपरोक्त भूमि में तिल की फसल काश्त की है जो मौके पर खडी हुई है लेकिन प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की उपरोक्त भूमि में जानवन छोड देते हैं एवं फसल को नष्ट करवा देते हैं। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं। दिनांक 8.8.2020 को प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान करने की धमकी दी है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे किवे वादीगण की सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 252 रकबा 0.73 है0 ग्राम खौलाई के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:30:30 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स0मा0)

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2072–75 ग्राम खौलाई प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है एवं वादी घनश्याम व वादी रमेश चन्द के बयान कराए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है।

प्रकरण मे बहस विद्धान वकील वादीगण सुनी गई। वादीगण के विद्धान वकील ने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2072–75 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 252 रकबा 0.73 है0 ग्राम खौलाई वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। इस भूमि से कोई सम्बन्ध होने बाबत् प्रतिवादीगण ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है एवं वे हाजिर अदालत भी नहीं हुए हैं। भूमि वादीगण की खातेदारी की होने के कारण इस भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादीगण को बाधा उत्पन्न करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। फलस्वरूप वादीगण का वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 252 रकबा 0.73 है0 ग्राम खौलाई के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में वादीगण को किसी भी प्रकार से कोई मजाहमत न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:30:30 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)